

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला—उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

उनवान

1. श्री धर्मनारायण पिता दीपा डांगी निवासी दरोली तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर।

.....वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार घासा जिला उदयपुर।
3. पटवारी पटवार हल्का नामरी तहसील मावली जिला उदयपुर।
4. पटवारी पटवार हल्का नाहरमगरा तहसील घासा जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 10/25 (वाद) GCMS No. – 2025/22

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा घणोली कला पटवार हल्का नामरी तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 248 पर दर्ज आराजीयात भूमि तथा ग्राम धूणीमाता पटवार हल्का नाहरमगरा तहसील घासा की नकल जमाबन्दी संवत 2077-80 के खाता संख्या 312, 333 में खातेदार दोलतरात पुत्र दीपा के बजाय धर्मनारायण उर्फ दोलतराम पुत्र दीपा संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 02.07.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

